

क्रमांक 29/2022

21-4-22

अभिभाषक अपीलांत व अभिभाषक रेस्पोजेन्ट संख्या 1 उपस्थित। पत्रावली पर उभय पक्षों को सुना गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांत द्वारा बहस करते हुए कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि तहसील कोलायत के वाके ग्राम नोखड़ा के खेत खसरा नम्बर 72 तादादी 17.2478 हेक्टर भूमि में अपीलांत 1/27 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। जिस पर अपीलांत काबिज काश्त चल आ रहा है। वादग्रस्त भूमि के बाबत रेस्पोजेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत करते हुए विभाजन की मांग की गई। अदालत मातहत के समक्ष उक्त वादपत्र रेस्पोजेन्ट संख्या 1 द्वारा दिनांक 21-01-2022 को प्रस्तुत किया गया था, उक्त वादपत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम पेशी दिनांक 21-01-2022 को ही रजिस्टर्ड सम्मन जारी करने के आदेश प्रदान करते हुए आगामी पेशी पर मात्र एक प्रतिवादी के उपस्थित आने पर अन्य पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना ही विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई।

उन्होंने आगे कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील में खाता विभाजन आपसी सहमति के आधार पर स्वीकार करने का कथन किया गया है, जबकि अपीलांत या अन्य सह खातेदारों द्वारा इस प्रकार की कोई सहमति प्रदान नहीं की गई थी। अदालत मातहत द्वारा मात्र रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत मात्र से आनन-फानन में विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करते हुए वादग्रस्त भूमि के अन्य सहखातेदारों के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात किया गया है। जिसकी कानून अनुमति प्रदान नहीं करता है। अदालत मातहत द्वारा सह खातेदारों को सुनवाई का संपूर्ण अवसर प्रदान किये बिना मनमाने तरीके से निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। आराजी जैर में सभी सह खातेदारों का समान कब्जा काश्त कानूनन होता है, तथा सहखातेदारों के बीच बाई मिट्स एण्ड बॉउण्ड विभाजन कराने की सहमति दी ना ही कब्जे काश्त के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। आराजी जैर पर सभी सह खातेदार अपने-अपने हिस्से पर काबिज है इसलिए कब्जे के अनुसार प्राथमिक डिक्री पारित की जानी चाहिए थी। अदालत मातहत द्वारा विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए तमाम कानूनी प्रावधानों को अनदेखा किया गया है। प्रकरण में इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही न्यायालय हाजा द्वारा एकतरफा अंतरिम



सजय जपील अधिकारी  
बीकानेर

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। यदि उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है तो अपीलांट को उसकी अपूरणीय क्षति कारित होगी तथा अपील का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। चूंकि अपीलांट वादग्रस्त भूमि का सह खातेदार है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में साबित है। अतः न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 23-03-2022 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला अपील कायम रखने के आदेश प्रदान किये जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् आराजी पर रेस्पोजेन्ट संख्या 1 अपने हक व हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है तथा वह अपने हिस्से की भूमि का विभाजन कराने के अधिकारी है। इसी आशय का वादपत्र रेस्पोजेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अन्य सहखातेदारों की सहमति से वादग्रस्त भूमि के बाबत् बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस अर्थात् अच्छी से अच्छी व मन्दी से मन्दी भूमि के प्रस्ताव तैयार कर खाता विभाजन के प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किया गया है। यदि अपीलांट उक्त आदेश से किसी प्रकार से व्यथित भी है तो वह अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। परन्तु अपीलांट द्वारा अन्य सह खातेदारों को केवल मात्र तंग व परेशान करने की नियत से उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए तथ्यों को छिपाते हुए एकतरफा स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है। चूंकि रेस्पोजेन्ट संख्या 1 वादग्रस्त भूमि का सह खातेदार है जिसे अपने हक व हिस्से की भूमि के उपयोग व उपभोग का कानूनी अधिकार है, उक्त स्थगन आदेश की आड़ में रेस्पोजेन्ट संख्या 1 अपने हक व हिस्से की भूमि पर सोलर कार्य करने में बाधित हो रहे है तथा रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को दिन प्रतिदिन अत्याधिक नुकसान भी हो रहा है। प्रकरण में जहाँ तक अपीलांट की आपत्ति की अदालत मातहत द्वारा तामील प्रक्रिया को अपनाये बिना व मात्र तीन-चार पेशियों में ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया है, प्रकरण में चूंकि अन्य सह खातेदारों द्वारा विभाजन के बाबत् अपनी सहमति प्रदान कर दी गई थी, ऐसी स्थिति में प्रकरण को अनावश्यक रूप से जैरकार रखने का कोई औचित्य नहीं होने के आधार पर अदालत मातहत द्वारा विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी करने हुए प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किया गया है। प्रकरण में विभाजन की अंतिम डिक्री जारी होना शेष है। प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा पारित एकतरफा



3

स्थगन आदेश से सबसे ज्यादा नुकसान रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को हो रहा है क्योंकि वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नम्बर 72 तादादी 17.2478 हेक्टर भूमि में रेस्पोजेन्ट संख्या 1 का हिस्सा 26/27 है जोकि अन्य सह खातेदारों के मुकाबले ज्यादा है, ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा द्वारा पारित एकतरफा स्थगन आदेश दिनांक 23-03-2022 से रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को अपूरणीय क्षति कारित हो रही है। प्रकरण में अपीलांट यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहे हैं कि उन्हें अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील से किस प्रकार से अपूरणीय क्षति कारित हो रही है। केवल मात्र सह खातेदार होने से अन्य सह खातेदारों को उनके विधिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। अतः न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 23-03-2022 को जारी एकतरफा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त फरमाते हुए अपीलांट की अपील इसी स्तर पर खारिज की जावे।


विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के आदेश दिनांक 24-02-2022 जिसके माध्यम से आराजी जैर तहसील कोलायत के वाके ग्राम नोखड़ा के खेत खसरा नम्बर 72 तादादी 17.2478 हेक्टर भूमि के बाबत विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है, से व्यथित होकर प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 23-03-2022 को वादग्रस्त भूमि के बाबत अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने के उपरान्त रेस्पोजेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में शीघ्र सुनवाई करते हुए आदेश पारित करने की मांग की गई। उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति अभिभाषक अपीलांट को दी गई, व उभय पक्षों को पत्रावली पर सुना गया।

प्रकरण में हमने उभय पक्षों की बहस, पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील का अवलोकन किया गया। परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 24-02-2022 को पारित आदेश जोकि वादग्रस्त भूमि तहसील कोलायत के वाके ग्राम नोखड़ा के खेत खसरा नम्बर 72 तादादी 17.2478 हेक्टर भूमि के बाबत के विभाजन की प्राथमिक डिक्री के संबंध में जारी किया गया है। अपीलांट का मुख्य कथन यह है कि अपीलांट वादग्रस्त भूमि बोनाफाईड परचेजर है, जिसे पक्षकार स्थापित किये बिना व सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये




राजस्थान न्यायालय अधिकारी  
जयपुर



बिना विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है तथा उक्त डिक्री पारित करने से पूर्व विभाजन के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि चूंकि अदालत मातहत द्वारा दिनांक 24-02-2022 को वादग्रस्त भूमि के बाबत तहसीलदार राजस्व कोलायत को ग्राम नोखड़ा के खसरा नम्बर 72 तादादी 17.2478 हेक्टर भूमि के बाबत वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स अच्छी से अच्छी व मन्दी से मन्दी भूमि के खाता विभाजन के प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। अपीलांट यदि अदालत मातहत के उक्त आदेश से किसी प्रकार से व्यथित है तो ऐसी स्थिति में वह अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर अपना मत व्यक्त कर सकते हैं क्योंकि प्रकरण में अभी वादग्रस्त भूमि के बाबत अंतिम डिक्री जारी होना शेष है। विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी का उद्देश्य ही यह होता है कि सभी पक्षकारों के धारण/कब्जे काश्त की भूमि को ध्यान में रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स प्रस्ताव तैयार किये जावे व उक्त प्रस्ताव तैयार करते समय यदि किसी सह खातेदार को कोई आपत्ति होती है तो वह तत्समय अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र रहता है। प्रकरण में अपीलांट भी यदि विभाजन की प्राथमिक डिक्री से किसी प्रकार से व्यथित/असहमत भी है तो वह अपनी आपत्ति विभाजन के प्रस्ताव तैयार करते समय अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत करते हुए विभाजन की प्राथमिक डिक्री को चुनौती दी जा सकती थी। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आते हुए प्रस्तुत अपील के माध्यम से विभाजन की प्राथमिक डिक्री को असामयिक (Premature) स्तर पर निरस्त कराने की चेष्टा की गई है। लिहाजा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के मद्देनजर किसी एक पक्षकार के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अन्य सह खातेदार को उनके विधिक अधिकारों को अस्थायी निषेधाज्ञा के माध्यम से वंचित नहीं किया जा सकता। नाही कानून इसकी अनुमति प्रदान करता है। प्रकरण में जहाँ तक अपीलांट का यह कथन कि आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, इस संबंध में अदालत मातहत को निर्देशित किया जाता है कि विभाजन के प्रस्ताव तैयार करते समय अपीलांट द्वारा यदि कोई आपत्ति प्रस्तुत की जाती है तो उक्त आपत्ति पर विभाजन के विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही की जावे। अपीलांट प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से न्यायालय हाजा द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत दिनांक 23-03-2022 को जारी एकतरफा अस्थायी

2

निषेधाज्ञा के आदेश को निरस्त करते हुए अपीलांट  
की अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है।  
पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तामील व  
तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

  
(रामस्वरूप चौहान)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बीकानेर